न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी – चंचल वर्मा आर.ए.एस.

निगरानी अन्तर्गत धारा 97(क) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

प्रकरण संख्या– 13/2022

1. राजाराम पुत्र लुणाराम जाति सैनी निवासी थालड़का तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

बनाम

– प्रार्थी

1. सत्यनारायण पुत्र लालचन्द जाति माली (सैनी) उम्र 40 वर्ष निवासी थालड़का तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. पवन कुमार पुत्र हरीराम जाति सैनी निवासी थालड़का तहसील नोहर।
3. सरपंच ग्राम पंचायत थालड़का तहसील नोहर।
4. प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर तहसील नोहर

–अप्रार्थीगण

उपस्थितः– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रार्थी।

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर

निर्णय दिनांकः– 06/07/2023

प्रार्थी राजाराम पुत्र लुणाराम जाति सैनी निवासी थालड़का तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ने निर्णय दिनांक 09.03.2022 प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की है, जिसके तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है–

1. अप्रार्थी सं. 1 द्वारा मातहत अदालत में अपील इस आशय की पेश की गई कि पंचायत थालड़का की आबादी क्षेत्र में अप्रार्थी सं. 1 को लगभग 60–70 वर्षो पुराना 90 गुणा 90 फुट क्षेत्र की जगह का एक कब्जा शुदा व रहवास शुदा भूखण्ड है, जिसके उतर में सादुराम सोनी, दक्षिण में मकान सुरेन्द्र कुमार, पूर्व में गली आम व पश्चिम में मकान प्रताप धुन्धवाल है। पूर्व में अपीलार्थी के पिता श्री लालचन्द अपने जीवनकाल में उक्त मकान पर काबिज रहे है व भूखण्ड का अपने परिवार के साथ रहवास हेतु उपयोग उपभोग करते रहे। अपीलार्थी के पिता की लालचन्द का देहान्त हो जाने के पश्चात से अपीलार्थी उक्त भूखण्ड पर काबिज है व उक्त भूखण्ड पर मकान तामिर कर अपने परिवार के साथ रहवास हेतु उक्त भूखण्ड का लगातार बिना किसी बाधा के शान्ति पूर्वक

06/7/2023
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

उपयोग–उपभोग करता आ रहा है। दिनांक 31.12.2021 को अप्रार्थी सं. 1 पवन कुमार अपीलार्थी के मकान पर आया व भूखण्ड को खाली करने के लिए कहा व बताया कि उक्त भूखण्ड उसके पिता हरिराम तथा दादी मोहरा के पक्ष में अलग–अलग दो पट्टे जारी शुदा है। जिसकी अपील न्यायालय प्रशासन एंव स्थापना स्थाई समिति, पंचायत समिति नोहर में की गई। अधीनस्थ न्यायालय प्रशासन एंव स्थापना स्थाई समिति, पंचायत समिति नोहर द्वारा ग्राम पंचायत थालड़का द्वारा दिनांक 30.11.1981 को जारी पट्टे तादादी 45 गुणा 90 फुट बहक हरिराम पुत्र लूणाराम भूमि तादादी 45 गुणा 90 फुट बहक मोहरा पत्नि लुणाराम सैनी निवासी थालड़का के पट्टे को दिनांक 09.03.2022 को खारिज कर दिया गया। इस निर्णय से आवेदक को अपूर्णीय क्षति हुई है। अतः आवेदक निर्णय दिनांक 09.03.2022 को अपास्त करने हेतु यह निगरानी निम्नलिखित आधारो पर प्रस्तुत कर रहा है।

(क) यह कि निर्णय दिनांक 09.03.2022 बअदालत मातहत बखिलाफ कानून नियम व वाक्यात व रूह दाद मिसल है तथा पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजो एवं साक्ष्य के खिलाफ है तथा निर्णय दिनांक 09.03.2022 काबिल निरस्त योग्य है।

(ख) यह कि मातहत अदालत ने बिना किसी विश्लेषण के कतई मनमाना स्वेच्छारी व नियम विरूद्ध निर्णय पारित किया है।

(ग) यह कि मातहत अदालत में अपीलार्थी द्वारा हरिराम पुत्र लूणाराम एंव मोहरा पत्नि लुणाराम के समस्त वारिसान को पक्षकार नही बनाया गया केवल मात्र प्रत्यार्थीगण सं. 1 को पक्षकार बनाकर दुरभि सन्धि कर निर्णय पारित करा लिया एवं लालचन्द के वारिसान को भी मातहत अदालत में पक्षकार नही बनाया गया है क्योंकि समस्त वारिसान पक्षकार होते तो सही वस्तु स्थिति एवं भौतिक रूप से कब्जा उपभोग को जानकारी मिलती है। इसलिए समस्त वारिसान को पक्षकार संयोजित नही करने के अभाव में मातहत अदालत द्वारा पारित निर्णय अपास्तनीय है।

(घ) यह कि मातहत अदालत द्वारा इस तथ्यों का गौर नही किया गया कि अपीलाधीन पट्टे राजस्थान नहर क्षेत्र में चक आबादी में आवासन हेतु भूमि आवंटन नियम सन् 1971 के प्रावधानो के अनुसार जारी किये गये है। उपरोक्त पट्टा 42 वर्ष पुराना है तथा उक्त पट्टे को इतने लम्बे समय के पश्चात खारिज किया गया है, उपरोक्त पट्टा कब्जा के आधार पर ही जारी किये गये थे तथा अपीलान्ट एवं प्रात्यार्थी सं. 1 द्वारा दुरभि सन्धि कर जान बुझकर पट्टे खारिज करवा दिया गया। उपरोक्त महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाकर एवं झुठे तथ्यों के आधार पर मातहत अदालत ने नियमानुसार जारी पट्टा को शुन्य व निरस्त घोषित कर अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निर्णय पारित किया गया है, जो काबिल निरस्तनीय है।

06/7/2023
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

(ड़) यह कि माहत अदालत ने दोनो पट्टो को एक साथ खारिज किया है जबकि उपरोक्त दोनो पट्टो की अलग–अलग अपील पेश होनी चाहिए थी तथा हरिराम एवं मोहरा देवी के समस्त वारिसान को अपील में पक्षकार भी संयोजित नही किया गया तथा लालचन्द के भी अन्य वारिसान को पक्षकार नही बनाया गया। इतने लम्बे समय पश्चात पट्टे खारिज करके मातहत अदालत द्वारा कानूनी गलती की है। माननीय मातहत अदालत द्वारा पारित निर्णय अपास्तनीय है।

(च) यह कि मातहत अदालत ने कानून के खिलाफ जाते हुऐ केवल राजनैतिक द्वेषता से वशीभूत होकर निर्णय पारित किया है।

(छ) यह कि मातहत अदालत द्वारा जो मौका रिपोर्ट तैयार की गई उसके बारे में कोई सूचना व सुनवाई का अवसर नही दिया गया, जबकि समस्त पक्षकार को सूचना व सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था। मगर मातहत अदालत ने कतई गलत तथ्यों पर निर्णय दिनांक 09.03.2022 पारित किया है तथा हरिराम पुत्र लूणाराम एंव मोहरा देवी पत्नि लुणाराम के पक्ष में दिनांक 30.11.1981 को जारी पट्टा शून्य घोषित कर कानून के सिद्धान्तो की अवहेलना की है। निर्णय इसी आधार पर काबिले निरस्तनीय है।

अतः यह निगरानी पेश कर निवेदन है कि निगरानी आवेदक स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 09.03.2022 बअदालत मातहत अदालत अपास्त फरमाया जावे तथा पट्टा दिनांक 30.11.1981 बहाल रखा जावे।

निगरानी पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी होनें के उपरान्त भी उपस्थित नहीं हुये। अतः अप्रार्थी संख्या–1 ता 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अधीनस्थ न्यायालय पंचायत समिति नोहर से प्रकरण संख्या 38/2022 अनवान सत्यनारायण बनाम पवन कुमार निर्णय दिनांक 09.03.2022 की मूल पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता प्रार्थी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय पंचायत समिति नोहर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.03.2022 के विरूद्ध निगरानी पेश की है। पट्टा आवंटन नियम 1971 के चक आबादी में आवासन हेतु पट्टे जारी हुये थे। दो पट्टो 1. हरिराम पुत्र लूणाराम 2. मोहरा पत्नी लूणाराम की पवन कुमार पुत्र हरीराम, सत्यनारायण पुत्र लालचन्द ने पंचायत समिति नोहर में अपील पेश की। दो ही पट्टों की अपील की थी। इन्होनें दुरभि संधि करके अपने अन्य परिवारजनों को पक्षकार नहीं बनाया। मुझे भी पक्षकार नही बनाया गया। वर्ष 1971 के नियम का पट्टा खारिज कर दिया जिसमें म्याद का भी ध्यान नहीं रखा गया। दो पट्टो को एक साथ खारिज कर दिया गया। अधीनस्थ

06/7/2023
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

न्यायालय द्वारा दिनांक 09.03.2022 को गलत पारित निर्णय का खारिज किया जाकर निगरानी स्वीकार की जावे।

पत्रावली देखनें से ज्ञात होता है कि दिनांक 30.11.1981 को जारी पट्टा उपनिवेशन अधिनियम 1954, राज. उपनिवेशन(राजस्थान नहर क्षेत्र में चक आबादी हेतू भूमि आंवटन) नियम 1971 के प्रावधानों के तहत तत्कालीन तहसीलदार द्वारा नियमानुसार जारी पट्टा था। जिसे खारिज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने विधि को ध्यान में नहीं रख कर पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत खारिज किया है, जो न्यायोचित नहीं है। साथ ही मौका निरीक्षण हेतू गठित कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण की कोई सूचना/नोटिस भी पक्षकारों को नहीं दिया गया। वर्ष 1981 में जारी पट्टे को दिनांक 09.03.2022 को इतनें वर्ष बाद खारिज करनें का क्या औचित्य है, यह स्पष्ट नहीं होता है। म्याद के बिंदु पर भी किसी प्रकार का मंथन नहीं किया गया। दो पक्षकारों के द्वारा सहमति के आधार पर समिति के सामनें रखकर निर्णय करवा लिया गया जबकि अन्य परिवारजनों को पक्षकार क्यों नहीं बनाया गया, यह भी अस्पष्ट है। ऐसे में उक्त अपील विचारण में हुई व्यापक कमियों को देखते हुए यह न्यायालय उक्त अपील निर्णय को स्वीकार योग्य नहीं मानता है। अतः निगरानी स्वीकार योग्य होनें से स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाया जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 06.07.2023 को सरेइजलास सुनाया गया।

06/7/2023

(चंचल वर्मा आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर